

:: कार्यालय- पुराने एवं निष्प्रभावी प्रकरणों की समिति, उज्जैन एवं अष्टम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जिला उज्जैन, म.प्र. ::

-: ज्ञापन :-

क्रमांक- 697

उज्जैन, दिनांक- 29/08/2025

प्रति,

(समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन, म.प्र.)

विषय:- पुराने व निष्प्रभावी आपराधिक प्रकरणों के संबंध में माह जुलाई की आयोजित होने वाली मीटिंग से पूर्व पुराने व निष्प्रभावी आपराधिक प्रकरणों की सूची प्रेषित किये जाने बाबत।

संदर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर का ज्ञापन क्र. सी/44 दिनांक 07.01.2014 एवं सी/2633 दि. 30.06.15 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का ज्ञापन क्र. 4234/एक-6-5/15 दि. 28.04.2023।

:: 00 ::

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि, पुराने व निष्प्रभावी आपराधिक प्रकरणों के संबंध में माह अगस्त की मीटिंग आयोजित की जानी है। उक्त मीटिंग में आपके न्यायालय के पुराने व निष्प्रभावी आपराधिक प्रकरणों की सूची रखे जाने हेतु आपसे अपेक्षित है कि, आप न्यायालय में उपलब्ध प्रकरणों को सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर से मिलान करें, तदोपरांत यदि कोई प्रकरण पुराने एवं निष्प्रभावी होकर लंबित हैं तो ऐसे प्रकरणों की सूची दिनांक 02.09.2025 तक इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(विवेक कुमार चंदेल)

अध्यक्ष,

पुराने एवं निष्प्रभावी प्रकरणों की समिति, उज्जैन
एवं अष्टम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला उज्जैन, म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक :

उज्जैन, दिनांक-

प्रतिलिपि :- 01. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, उज्जैन की ओर सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन को सूचित करने बाबत प्रेषित।

(विवेक कुमार चंदेल)

अध्यक्ष,

पुराने एवं निष्प्रभावी प्रकरणों की समिति, उज्जैन
एवं अष्टम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला उज्जैन, म.प्र.